

छह वर्षों बाद गेहूँ का आयात करेगा भारत

प्रलिमिस के लिये:

खाद्य मुद्रासंकीति, गेहूँ, खाद्य फसलें, बफर स्टॉक, न्यूनतम समर्थन मूलय।

मेन्स के लिये:

खाद्य उत्पादन पर मौसम का प्रभाव तथा खाद्य सुरक्षा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

वशिव का दूसरा सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक देश भारत, लगातार तीन वर्षों से निशाजनक फसल उत्पादन के कारण घटते भंडार को फरि से भरने तथा बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिये छह वर्ष के अंतराल के बाद गेहूँ का आयात शुरू करने की योजना बना रहा है।


- भारत द्वारा गेहूँ पर 40% आयात कर हटाने की संभावना है, जिससे नजीब्यापारियों को रूस जैसे देशों से गेहूँ खरीदने (तथापिकम मात्रा में) की अनुमतिमिल जाएगी।

भारत ने क्यों लिया पुनः गेहूँ आयात करने का नियन्त्रण?

■ गेहूँ उत्पादन में कमी:

- प्रत्यक्षील मौसम परस्थितियों के कारण विभिन्न तीन वर्षों के दौरान भारत के गेहूँ उत्पादन में कमी आई है।
- सरकार का अनुमान है कि इस वर्ष गेहूँ का कुल उत्पादन पछ्ले वर्ष (2023) के रिकॉर्ड उत्पादन 112 मिलियन मीट्रिक टन की तुलना में 6.25% कम होगा।


India's 2023-24 wheat harvest seen slightly lower on year



- गेहूँ के भंडार में कमी:

- अप्रैल 2024 तक सरकारी गोदामों में गेहूँ का भंडार घटकर 7.5 मिलियन टन रह गया है, जो 16 वर्षों में सबसे कम है, क्योंकि सरकार ने गेहूँ की घरेलू कीमतों को नवीनीकरण करने के लिये अपने भंडार से 10 मिलियन टन से अधिक गेहूँ बेच दिया है।

TAKING STOCK



- सरकार द्वारा गेहूँ खरीद में कमी:

- वर्ष 2024 में गेहूँ खरीद के लिये सरकार का लक्ष्य 30-32 मिलियन मीट्रिक टन था, लेकिन वह अब तक केवल 26.2 मिलियन टन ही खरीद पाई है।

- घरेलू गेहूँ की कीमतों में उछाल:

- घरेलू गेहूँ की कीमतें सरकार के [न्यूनतम समर्थन मूल्य \(MSP\)](#) 2,275 रुपए प्रति 100 किलोग्राम से ऊपर बढ़ी हुई हैं और हाल ही में इनमें बढ़ावाही हुई है।
 - इसलिये सरकार ने गेहूँ पर 40% आयात शुल्क हटाने का नियम लिया, ताकि निजी व्यापारियों और आटा मर्लियों को रूस से गेहूँ आयात करने की अनुमति मिल सके।

नियम के संभावित नहितारथ क्या हैं?

- घरेलू बाज़ार:

- आपूर्ति में वृद्धितथा मूल्य स्थिरता: आयात शुल्क समाप्त करने से घरेलू बाज़ार में गेहूँ की आपूर्ति बढ़ने की संभावना है। इससे कीमतों में वृद्धि को कम किया जा सकता है।

- रणनीतिकि भंडार की पुनः पूर्ति: आयात लागत कम होने से सरकार को घटते गेहूँ की पुनः पूर्ति करने में मदद मिल सकती है। यह घरेलू उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धिमें से बचने के लिये एक बफर का नरिमाण करने में सहायक होगा तथा खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा।
- वैश्वकि बाज़ार:

 - कीमतों में संभावति वृद्धिका दबाव: यद्यपि भारत की अनुमानित आयात मात्रा कम (3-5 मिलियन मीट्रिक टन) है, फरि भी यहैश्वकि गेहूँ की कीमतों में वृद्धिमें योगदान दे सकती है।
 - इसका कारण यह कि इस जैसे प्रमुख नियातक देश वर्तमान में उत्पादन संबंधी चतिआँ के कारण उच्च लागत का सामना कर रहे हैं।
 - सीमति प्रभाव: भारत की आयात आवश्यकता से वैश्वकि बाज़ार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। लेकिन बड़े प्रत्यक्षिप्रदधी गेहूँ के वैश्वकि मूल्य युझानों पर अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालना जारी रखेंगे।


भारतीय खाद्य नियम (Food Corporation of India- FCI):

- यह [खाद्य नियम अधिनियम, 1964](#) के तहत स्थापित एक वैधानिकि नियमिति है।
- उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिकि वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिकि वितरण विभाग के अधीन कार्य करता है।
- FCI के प्रमुख कार्य:
 - खरीद: FCI कसिनों के हतिं की रक्षा और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार द्वारा घोषित [नियन्त्रितम समरथन मूल्य \(Minimum Support Price- MSP\)](#) पर गेहूँ व धान की खरीद के लिये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
 - भंडारण: खरीदे गए खाद्यानों को बफर स्टॉक बनाए रखने और अभावग्रस्त अवधि के दौरान उपलब्धता सुनिश्चिति करने के लिये देश भर के गोदामों में वैज्ञानिकि तरीके से भंडारण किया जाता है।
 - वितरण: FCI [सार्वजनिकि वितरण प्रणाली \(Public Distribution System- PDS\)](#) के माध्यम से राज्य सरकारों को कुशलतापूर्वक खाद्यानन वितरित करता है ताकि वे इसे आगे वितरण कर सकें। इससे समाज के कमज़ोर वर्गों के लिये रायियती कीमतों पर आवश्यक खाद्य वस्तुओं तक पहुँच सुनिश्चित होती है।
 - बाज़ार स्थरीकरण: खरीद और वितरण को विनियमिति करके, FCI बाज़ार में खाद्यानन की कीमतों को स्थरि करने में मदद करता है, जिससे अनुचित मूल्य उतार-चढ़ाव को नियंत्रित किया जा सकता है।
 - नियरानी: FCI उत्पादन में संभावति कमी की पहचान करने और समय पर सुधारात्मक उपाय सुनिश्चिति करने के लिये देशभर में खाद्यानन स्टॉक तथा उनके आवागमन पर नियरानी रखता है।

गेहूँ:

- यह भारत में चावल के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण [खाद्यानन फसल](#) है तथा देश के उत्तरी एवं उत्तर-पश्चिमी भागों की प्रमुख खाद्यानन फसल है।
- गेहूँ [रबी की फसल](#) है जससे परपिक्वता के समय ठंडे मौसम और तेज़ धूप की आवश्यकता होती है।
- [हरति करांति](#) की सफलता ने रबी फसलों, वशिष्कर गेहूँ की वृद्धिमें योगदान दिया।
- तापमान: तेज़ धूप के साथ 10-15°C (बुवाई के समय) और 21-26°C (परपिक्व होने तथा कटाई के समय) के बीच।
- वर्षा: लगभग 75-100 सेमी।
- मृदा: सु-अपवाहनि उपजाऊ दोमट और चकिनी दोमट मटिटी (गंगा-सतलुज मैदान व दक्कन का काली मटिटी वाला क्षेत्र)।
- वशिष्क में शीर्ष 3 गेहूँ उत्पादक (2021): चीन, भारत और रूस
- भारत में शीर्ष 3 गेहूँ उत्पादक (2021-22 में): उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब
- भारत में गेहूँ उत्पादन और नियात की स्थिति:
 - भारत, चीन के बाद वशिष्क का दूसरा सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक देश है। लेकिन वैश्वकि गेहूँ व्यापार में इसकी हसिसेदारी 1% से भी कम है। यह इसका एक बड़ा हसिसा गरीबों को सबसेडी युक्त खाद्यानन उपलब्ध कराने के लिये रखता है।
 - इसके शीर्ष नियात बाज़ार बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका हैं।
- सरकार द्वारा की गई पहलें:
 - मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर, [राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मरिन](#) और राष्ट्रीय कृषिविकास योजना गेहूँ की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु प्रमुख सरकारी पहलें हैं।

Major Wheat Producing States



नषिकर्षः

6 वर्षों के अंतराल के बाद गेहूँ का आयात पुनः शुरू करने का भारत का नरिण्य, गेहूँ उत्पादन में गरिवट और सरकारी भंडार में कमी से उत्पन्नरेलू आपूर्ति व मूल्य संबंधी चित्तियों को दूर करने के क्रम में एक व्यावहारिक कदम है। हालाँकि, गेहूँ आयात करने का यह नरिण्य गेहूँ की वैश्वकि कीमतों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन भारत सरकार का प्राथमिक उद्देश्य अपने नागरिकों के लिये खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना है।

दृष्टिभेन्स प्रश्नः

भारत वैश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक देश है, फरि भी यह अक्सर गेहूँ का आयात करता है। इस स्थिति में योगदान देने वाले कारकों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजियि तथा गेहूँ उत्पादन में अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये नीतिगत उपाय सुझाइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न:

प्रश्न. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में, नमिनलखिति कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. केवल वे ही परवार सहायता प्राप्त खाद्यानन्न लेने की पात्रता रखते हैं जो “गरीबी रेखा से नीचे” (बी.पी.एल) श्रेणी में आते हैं।
2. परवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महली ही राशन कार्ड निरित कराए जाने के प्रयोजन से परवार का मुख्यायि होगी।
3. ग्रभवती महलीएँ एवं दुग्ध पलिने वाली माताएँ ग्रभावस्था के दौरान और उसके छह महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (b)

प्रश्न. नमिनलखिति फसलों पर विचार कीजिये:

1. कपास
2. मूँगफली
3. धान
4. गेहूँ

इनमें से कौन-सी खरीफ फसलें हैं?

- (a) 1 और 3
- (b) 2 और 3
- (c) 1, 2 और 3
- (d) 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

प्रश्न:

प्रश्न. आज भी भारत में सुशासन के लिये भूख और गरीबी सबसे बड़ी चुनौती है। मूल्यांकन कीजिये कि इन विशाल समस्याओं से निपटने में सरकारों ने कितनी प्रगतिकी है। सुधार के उपाय सुझाइये। (2017)

प्रश्न. खाद्यानन्न वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये सरकार द्वारा कौन-से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं? (2019)